



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 66/2016

वादीगण

1. भैराराम पुत्र श्री नारायणराम
2. भंवरीदेवी पत्नी श्री नारायणराम
जातियान कुम्हार निवासीगण
ग्राम उदलियावास, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

1. गोपाराम पुत्र श्री शिवराम
2. बाबुलाल पुत्र श्री शेषाराम
3. मोहनलाल पुत्र श्री पन्नाराम
4. चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम
5. पारसराम पुत्र पन्नाराम
सभी जातियान सीरवी
निवासीगण लालावतों की
ढीमड़ी, बिंजवाडिया रोड़ बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
6. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक
शाखा कार्यालय बिलाड़ा
7. सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 14.07.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा केम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2017 की पालना में प्रतिवादीगण के सम्मन आज तारीख तक प्रस्तुत नहीं किये हैं जबकि आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रतिवादीगण के सम्मन उक्त आदेश की पालना में सात दिवस के भीतर पेश किया जाना आवश्यक था। वादी द्वारा आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण के सम्मन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2017 की पालना में 7 दिवस के अन्दर पेश नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा